# कार्यकारी सार

## कार्यकारी सार

*हरियाणा राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। यह राज्य के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधारी के पैटर्न का आकलन करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के साथ इसके निष्पादन की तुलना करता है।*

हरियाणा की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मध्यम वृद्धि दर्शाई, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.67 प्रतिशत का योगदान दिया। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर बनी रही है, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है। हमने देखा कि उच्च कर संग्रह, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर और वृद्धित केंद्रीय कर अंतरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (5.05 प्रतिशत) हुई। हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी हुई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इन प्राप्तियों में प्रमुख योगदान राज्य के स्व-कर राजस्व का है, जो कुल प्राप्तियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। इसके बाद केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान का स्थान आता है। इस प्रकार, स्वयं के स्रोतों पर राज्य की निर्भरता काफी अधिक है, जो राजकोषीय आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय (कुल व्यय का 88.94 प्रतिशत), विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत और सब्सिडी (राजस्व व्यय का 64 प्रतिशत, कुल व्यय का 57 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 76 प्रतिशत) की उच्च वृद्धि का वर्चस्व रहा, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान शेष रहा। पूंजीगत व्यय अस्थिर बना रहा और बजटीय स्तरों से कम रहा, जो अवसंरचना के निवेश में बाधाओं को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय कुल उधार का केवल 17.67 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण या विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था। राज्य अपने राजस्व घाटे को राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रोकने में सक्षम नहीं था, जिससे राजकोषीय समेकन के लिए बहुत कम संभावना बची। राज्य की कुल देयताएं पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती रही और पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 10.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च बकाया देयताएं भविष्य में पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाती हैं, जिससे मध्यम अवधि में राजकोषीय लचीलापन और सीमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, निवेशों पर मिलने वाला रिटर्न, सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर की तुलना में चिंताजनक रूप से कम था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को

राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का अंतरण न करने (₹ 1,170.27 करोड़), लंबित रिफंड मामलों (₹ 827.54 करोड़), विभिन्न विभागों के विरूद्ध डिस्कॉम की ऊर्जा प्रभार देयताओं (₹ 253.82 करोड़), ऋण स्टॉक में शामिल न किए गए बजट-बाह्य उधारों (₹ 146.53 करोड़), एनपीएस/सांविधिक निधियों में राज्यों के अंशदान को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को कम अंतरण/अंतरण न करने/ब्याज देयताओं (₹ 93.49 करोड़) आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण अदत्त देयताओं को भी आगे बढ़ाया। इन अदत्त देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 2,491.65 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

वित्तीय वर्ष में 19 अनुदानों के राजस्व/पूंजीगत, भारित और दत्तमत सेक्शनों में बड़े पैमाने पर बचत भी देखी गई। यद्यपि 2024-25 के दौरान प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ, तथापि वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य विधायिका द्वारा नियमितीकरण के लिए लंबित है। 2,135 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में देरी, जिनमें से 884 वर्ष 2019-20 से पहले के हैं; 40 स्वायत्त निकायों के संबंध में 82 लेखों का लंबित होना (30 सितंबर 2025 तक); और लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय का अत्यधिक उपयोग वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं, जो चिंता का विषय है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड के तहत निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में निधियों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, एसएनए-स्पर्श में पूर्ण माइग्रेशन अभी लंबित है।

बढ़ता ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय और सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। बजट के अलावा लिए गए उधारों में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए और उनका समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। बजट के अधिक विवेकपूर्ण प्रावधान के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।